प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपील अधिकारिता

सिविल अपील सं. 2850 वर्ष 2020

आनंद यादव और अन्य .....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थी

नि र्ण य

माननीय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

1. एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) और एम. एड की डिग्रीधारी स्नातकोत्तरों के प्रतिस्पर्धी हितों ने अनेक वादो को जन्म दिया है, और वर्तमान विवाद इसी से उत्पन्न होता है। इस विवाद का निपटारा करने के लिए किन्तु प्रासंगिक तथ्यात्मक संदर्भ में अनेक न्यायिक निर्णय मौजूद हैं। आगे, विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर इस विवाद का विश्लेषण करने में संबंधित अधिकारियों के रुख में कुछ हद तक प्रत्यावर्ती बदलाव रहा है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2. विवाद मूल विज्ञापन संख्या 46 है जिसे उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग (संक्षेप में 'यू.पी.एच.ई.एस.एस.सी.'), प्रतिवादी संख्या 2, ने मार्च, 2014 में जारी किया था, जिसमें 'शिक्षाशास्त्र' सहित विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अपीलार्थी–2 की उम्मीदवारी को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में यू.जी.सी.), प्रतिवादी–4, द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूरा नहीं किया, भले ही उसके पास एम. एड. की डिग्री थी। परिणामस्वरूप उक्त अपीलकर्ता ने रिट याचिका–ए 61 वर्ष 2015 को दायर कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3. जबकि रिट याचिका लंबित थी तब भी पूर्वोक्त विज्ञापन के अनुसरण में भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गयी, और एक उत्तरवर्ती विज्ञापन, विज्ञापन संख्या 47 वर्ष 2016 जारी कर दिया गया। सरकारी सहायता प्राप्त गैर–सरकारी विश्वविद्यालयों में 'शिक्षाशास्त्र' में सौ पदों सहित विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के पदों हेतु पुनः विज्ञापन दिया गया। इन पदों के पात्रता मानदंड विज्ञापन के पैरा 6 में निर्दिष्ट किया गया था, जिसका महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है:

<u>“न्यूनतम शैक्षिक योग्यता“</u>

6. अनिवार्य शैक्षिक योग्यता

इस विज्ञापन में उल्लिखित सहायक प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:

6.1 संगीत और ललित कला के अलावा अन्य विषयों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद के लिए

6.1.1 परास्नातक में संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली प्रचलित है, वहां पर इसी के समान स्कोर के साथ)।

<u>उद्घोषणा</u>

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

6.1.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू. जी. सी.) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) या उ.प्र. राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.) या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों प्राप्त किया हो।

xxxx xxxx xxxx xxxx

इस प्रकार, पात्रता के रूप में निर्दिष्ट जुड़वां मानदंड, (क) स्नातकोत्तर स्तर पर किसी संबंधित विषय में 55 प्रतिशत स्कोर अथवा जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां पर उसी के समान स्कोर प्राप्त करना अपेक्षित है; और (ब) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (संक्षेप में 'नेट'), या उ.प्र. राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (के लिए) में उत्तीर्ण अंक (संक्षेप में 'एस.ई.टी.') या यू.जी.सी. द्वारा संचालित राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (संक्षेप में 'एस.एल.ई.टी.')।

4. उक्त से उत्पन्न विवाद के दो पहलू थे: प्रथम, क्या सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए एम. एड. को एम.ए, (शिक्षाशास्त्र) के समतुल्य माना जाना चाहिए?, और द्वितीय, भले ही यदि इसे समतुल्य मान लिया जाए तो क्या यह कहा जा सकता है कि एम. एड. स्नातकोत्तर डिग्री है?

5. इस समस्या को हल करने के लिए प्रतिवादी–2 ने उक्त विषय पर अपनी राय देने के लिए एक चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति में चार प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे: (i) प्रोफेसर भूदेव सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष शिक्षाशास्त्र, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी; (ख) प्रोफेसर पी.सी. शुक्ला, शिक्षाशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय; (ग) प्रोफेसर अमिता वाजपेयी, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय; और (घ) प्रोफेसर पी.के. साहू, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।

6. चारों विशेषज्ञों की राय एकमत थी। इस प्रकार, प्रोफेसर भूदेव सिंह के अनुसार, नेट/जे.आर.एफ. (जूनियर रिसर्च फैलोशिप) प्रमाण पत्र के लिए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आयोजित परीक्षा एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) और एम. एड दोनों विषयों छात्रों के लिए समान है जो एक ही दिन, एक ही पाठ्यक्रम, एक ही विषय और एक ही प्रश्नपत्र के साथ के साथ आयोजित करायी गयी है। फलस्वरूप जो प्रमाणपत्र जारी किया गया वह केवल 'शिक्षाशास्त्र' के विषय पर था और दो डिग्री में से किसी का भी अलग से उल्लेख नहीं किया गया था। वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन में उपरोक्त दो योग्यताओं में से कोई निर्दिष्ट नहीं थी अपितु केवल यह निर्दिष्ट था कि संबंधित विषय में अपेक्षित अंकों के साथ पोस्ट–ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रोफेसर पीसी शुक्ला ने यह भी कहा कि सहायक प्रोफेसर (शिक्षण), कला संकाय, पद हेतु, एम. एड की डिग्री साथ ही, एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) को स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक एम. एड. डिग्रीधारी छात्रों ने बी. एड की स्नातक डिग्री पूरी कर लिया है। यह दोनों मत अन्य दोनों विशेषज्ञों के मतों से संगत था।

7. उपरोक्त के परिणामस्वरूप प्रश्नगत पदों पर उ.प्र.उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग/ प्रतिवादी–2 ने दिनांक 11.7.2016 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया। इस शुद्धिपत्र को प्रतिवादी–3, जो दोनों विज्ञापनों में आवेदक था, द्वारा उच्च न्यायालय में रिट–ए 16127 वर्ष 2017 के माध्यम से चुनौती दिया गया। उपरोक्त का मूल्यांकन करने के लिए दोनों पहलुओं पर समुचित रूप से विचार करना होगा। सबसे पहले, जहां तक 1.12.1958 से पहले, यू.जी.सी./प्रतिवादी नंबर–.4 ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'यू.जी.सी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 22 के प्रयोजनों के लिए डिग्री की एक सूची जारी की थी, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि मास्टर की डिग्री, अन्य बातों के साथ, एक एम.ए. और एम. एड. शामिल होगा। उक्त धारा निर्दिष्ट करती है कि डिग्री प्रदान करने या देने का अधिकार का प्रयोग धारा 22 की उप–धारा (1)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय ही करेगा, जबकि उप–धारा (3) यह डिग्री के अर्थ को बताती है। यह धारा इस प्रकार है:

22. डिग्री प्रदान करने का अधिकार–

(1) डिग्री प्रदान प्रदान करने के अधिकार का प्रयोग केवल केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत गठित विश्वविद्यालय अथवा जिसे धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अथवा संसद के अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई संस्थान ही करेगा।

(2) उप–धारा (1) में उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण डिग्री अथवा अनुदान नहीं प्रदान कर सकता है और और स्वयं को ऐसा करने का अधिकारी नहीं मानेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "डिग्री" से ऐसी डिग्री अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।"

9. द्वितीय, दिनांक 30.6.2010 को, यू.जी.सी./प्रतिवादी–4 ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों को बनाये रखने के लिए कदम) विनियमन, 2010 ('यूजीसी विनियमन' के रूप में यथासंदर्भित) (इन विनियमनों, अन्य बातों के साथ, 2016 और 2018 में संशोधन किया गया) जारी किया। विनियमन 4.4.1 "शिक्षाशास्त्र" में सहायक प्रोफेसर, अन्य बातों के साथ–साथ, की अर्हताओं से संबंधित है और यह विहित करता है कि किसी भारतीय विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री अथवा किसी मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री साथ ही साथ नेट अथवा इसके समरूप अन्य

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। विनियमन 4.4.7 प्रोफेसरों के पदों के लिए प्रतिवादी–5/राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (संक्षेप में 'एस.सी.टी.ई.') द्वारा निर्धारित योग्यताएं समाहित करता है। इस विनियमन का महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है:

4.4.7 <u>प्रोफेसरों पद के लिए विहित योग्यताएं</u>

(अ) बी. एड. पाठ्यक्रम हेतु योग्यता:

(ii) सहायक प्रोफेसर:

क. फाउंडेशन पाठ्यक्रम

1. 50% अंकों के साथ विज्ञान/मानविकी/कला में मास्टर डिग्री(अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली प्रचलित है, वहां पर उसके समकक्ष ग्रेड);

2. कम से कम 55% अंकों के साथ एम.एड़. (अथवा जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां पर उसके समकक्ष ग्रेड); और

3. यू.जी.सी./ ऐसा कोई संबद्ध निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के लिए के लिए विहित कोई अन्य शर्त आज्ञापक होगी।

या

1. 55% अंकों के साथ शिक्षाशास्त्र में एम.ए. (अथवा जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, वहां पर उसके समकक्ष समकक्ष ग्रेड);

2. कम से कम 55% अंकों के साथ बी. एड. (अथवा जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, वहां पर उसके समकक्ष समकक्ष ग्रेड); और

3. यू.जी.सी./ ऐसा कोई संबद्ध निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के लिए के लिए विहित कोई अन्य शर्त आज्ञापक होगी।

xxxx xxxx xxxx xxxx

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

10. रिट याचिका में प्रतिवादी–3 की चुनौती देने के निम्नलिखित आधार है:

(i) **डॉ. प्रीति सिंह बनाम एस. के. मंगल और अन्य**[1] के मामले की गयी सुनवाई में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि एम . एड. डिग्री एमए (शिक्षा) डिग्री के समतुल्य नहीं होगी;

(ii) यथापूर्वोक्त समान मत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **प्रवीण कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य**[2] के मामले में लिया गया जिसने न्यायालय ने यह अभिनिर्णीत किया कि एम. एड. डिग्री परास्नाक डिग्री नहीं है, बल्कि केवल एक प्रशिक्षण अभियोग्यता है;

(iii) विज्ञापन संख्या 46 वर्ष 2014 शिक्षाशास्त्र में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए एम.ए (शिक्षाशास्त्र) की केवल न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया गया, और इस विज्ञापन के अनुसरण में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने यह भी कहा कि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) और एम. एड. दो अलग–अलग पाठ्यक्रम हैं और एक दूसरे से समानता नहीं की जा सकता है;

(iv) विज्ञापन सं. 47 वर्ष 2016, जैसा कि शुरू में जारी किया गया था, एम. एड. धारियों को शिक्षाशास्त्र में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवार नहीं बनाया और यह अंतिम तिथि से कुछ दिन पहले ही आवेदन पत्र जमा जमा करने से पूर्व दिनांक 11.7.2016 को शुद्धिपत्र जारी कर दिया गया; और

(v) एन.सी.टी.ई. /प्रतिवादी–5 ने दिनांक 4.10.2016 अपने जवाब में प्रतिवादी–3 (जो अभिलेख पर नहीं है) को कहा था कि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) शिक्षक का शैक्षिक कार्यक्रम नहीं है, जबकि एम. एड. है।

---

1 19993 अनुपूरक (1) एस.सी.सी. 714

2 2014 एस.सी.सी. ऑनलाइन एच.पी. 4307

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

11. प्रत्यर्थी 2 ने रिट याचिका चुनौती दिया और न्यायालय में प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत कर कहा कि विज्ञापन 47 वर्ष 2016 में जो योग्यता निर्धारित किया गया था वह यह था कि 'शिक्षाशास्त्र' में स्नातकोत्तर उम्मीदवार शिक्षाशास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकता है। विशेषज्ञ समूह द्वारा संदर्भित इस मामले की पृष्ठभूमि को एक विवादास्पद बताया गया, जो तब उत्पन्न हुआ जब कुछ उम्मीदवारों ने अपने नेट/जे.आर.एफ. प्रमाणपत्रों के साथ अपने आवेदन दायर किए, जिसमें यह दर्शित किया गया कि भले ही उनके पास एम. एड. डिग्री थी, फिर भी प्रतिवादी–4 ने घोषणा की थी कि वे शिक्षाशास्त्र में व्याख्याता पद हेतु योग्यता धारण करते हैं। विशेषज्ञों की राय साथ ही साथ प्रतिवादी 4 द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र के अनुरूप शुद्धिपत्र को जारी किया गया था।

12. एक पहलू जो इस रिट कार्यवाही में प्रासंगिक है वह यह है कि न तो यू.जी.सी. और न ही एस.सी.टी.ई को पक्षकार बनाया गया, बल्कि दोनों को पक्षकार बनाये जाने पर विचार किया जा सकता था। इसके अतिरक्त, न केवल इस वाद से प्रभावित लोगों को पक्षकार बनाये जाने का दोष लगाया गया बल्कि इस लोगों में से वे लोग जो प्रतिनिधि की क्षमता में थे पक्षकार बनाये जाने का दोषारोपण किया गया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की मदद नहीं की गयी क्योंकि सक्षम प्राधिकारी और प्रभावित व्यक्ति दोनों जुडे हुए थे।

13. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने दिनांक 14.5.2018 को आक्षेपित आदेश में, **डॉ. प्रीति सिंह**[3] मामले में पारित निर्णय की जांच कर, जिसका

---

3 उपरोक्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनुसरण **प्रवीण कुमार**[4] मामले में किया गया था, मत व्यक्त किया कि यह मुद्दा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था। यह कि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) संबंधित विषय में एक परास्नातक डिग्री है, जबकि एम.एड. नहीं है, क्योंकि यह केवल एक प्रशिक्षण योग्यता है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि एम.एड. योग्यताधारी व्यक्ति को शिक्षाशास्त्र में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, और परिणामस्वरूप शुद्धिपत्र दिनांकित 11.7.2016 को रद्द कर दिया गया।

14. पूर्वोक्त निर्णय के अनुपालन में प्रत्यर्थी–2 दिनांक को 5.9.2018 को स्वयं द्वारा आयोजित करायी गयी बैठक में विहित शिक्षा में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए योग्यता को बदलने का निर्णय लिया ताकि केवल एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) के उम्मीदवारों को उक्त पद के लिए पात्र माना जा सके।

15. जिन उम्मीदवारों के पास एम. एड. योग्यताएँ थीं, स्वाभाविक रूप से वे दुखी थे और ऐसे बारह उम्मीदवारों ने इस न्यायालय के समक्ष प्रथम तीन प्रत्यर्थियों, जो इस न्यायालय के समक्ष पक्षकार थे, को अभियोजित कर इसे दायर करने के छूट के आवेदन एक विशेष अनुमति याचिका दायर किया । इसके बाद, अन्य अपीलकर्ता जो समान रूप से स्थित थे, में शामिल हो गए और अपीलकर्ता के रूप में प्रत्यारोपित किए गए। 13 से 213 के आदेश दिनांक 31.8.2018। इस विवाद पर विचार करने के उपरान्त दिनांक 31.8.2018 को आदेश द्वारा यूजीसी को प्रतिवादी–4 के रूप में अभियोजित किया गया। अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ वकील, श्री पी.एस. पटवालिया ने कहा कि अपीलकर्ताओं का हित केवल शिक्षा में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए 2016 चयन प्रक्रिया में भाग लेने में था, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14.7.2016 थी और जिसके लिए शुद्धिपत्र दिनांक

4 उपरोक्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

11.7.2016 को जारी किया गया था। तदनुसार, इस न्यायालय ने दर्ज किया कि विशेष अवकाश याचिकाओं का लंबन वर्ष 2014 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया के उम्मीदवारों की नियुक्ति के साथ सक्षम प्राधिकारी की कार्यवाही के रास्ते में नहीं खड़ी होगी, क्योंकि अपीलकर्ता उक्त प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे रहा थे। इस प्रकार, 2014 की चयन प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय की मांग की गई थी।

16. परीक्षा के स्थगन के दृष्टिगत, दिनांक 12.10.2018 के आदेश के शर्तों में, एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें उम्मीदवारों को एम. एड. धारियो को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान किया गया, किन्तु परिणाम जैसे तैयार हो जाए उसे सीलबंद लिफाफे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना था। यह स्पष्ट किया गया कि यह आदेश केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित था जो उस तारीख को न्यायालय के समक्ष पक्षकार/मध्यस्थ/प्रत्यार्थी थे और, क्योंकि ऐसा कहा गया कि उन सभी ने दिनांक 14.7.2016 को कट–ऑफ जारी होने से पहले आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। बाद वाला पक्ष आदेश दिनांकित 10.12.2018 से स्पष्ट हो गया कि कट –ऑफ तिथि बदलकर 5.8.2016 हो जाएगी क्योंकि इसको सक्षम प्राधिकारी ने संशोधित किया गया था। पात्रता मानदंड के अनुरूप नहीं होने के कारण आवेदन की अस्वीकार करे दिये जाने के संबंध में किसी भी अन्य शिकायत को इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाने के लिए मत व्यक्त किया गया और इसे अलग कार्यवाही में चुनौती देना होगा।

17. यूजीसी द्वारा दायर हलफनामे के दृष्टिगत, आदेश दिनांकित 15.1.2020 के संदर्भ में एन.सी.टी.ई./प्रतिवादी 5 को अभियोजित करना उचित माना गया।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

18. जमीनी हकीकत यह थी कि 6793 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। दिनांक 12.1.2019 को सहायक प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) के पद के लिए लिखित परीक्षा संपन्न हुई औ जिसकी उत्तर कुंजी 29.5.2019 को जारी हुई। सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना गया जो 18.2.2020 से 27.2.2020 तक आयोजित किया गया था। तदनुसार परिणाम को इस न्यायालय के समक्ष एक सीलबंद कवर में प्रस्तुत किये जाने की मांग की गयी। फिर भी परिणाम घोषित नहीं किए गए। कोविड–19 के कारण जब यह मामला बाधित हुआ और अंततः दिनांक 31.7.2020 को यह मामला प्रकाश में आया तब शैक्षिक अपेक्षाओं के दृष्टिगत मामले को आखिरकार सुनना उचित समझा गया और इस प्रकार, अनुमति प्रदान की गयी और बहस आगे बढ़ी। इस प्रकार, परिणामों को परिशीलन करने का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ।

19. इस स्तर पर यू.जी.सी. के हलफनामे की ओर रुख करना प्रासंगिक होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) और एम. एड. दोनों डिग्री को मास्टर स्तर की डिग्री के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री के अनुदान हेतु न्यूनतम मानक) 14 विनियमन, 2003 के खंड 8 के अनुसार, एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) डिग्री पहली डिग्री के बाद न्यूनतम दो साल पूरा करने के बाद ही प्रदान की जा सकती है। शपथपत्र में यू.जी.सी. विनियमों के विनियमन 4.4.1 का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 'एक संबंधित विषय में मास्टर डिग्री स्तर' की अपेक्षा थी। इस प्रकार प्रत्यर्थी–2 द्वारा जारी विज्ञापन और शुद्धिपत्र को यू.जी.सी. विनिमनों के उल्लंघन में नहीं पाया गया, किन्तु यह माना

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया कि यू.जी.सी. समकक्ष डिग्री को निर्धारित नहीं करता है। यह भी कहा गया कि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) एक नियमित पाठ्यक्रम है, जबकि एम. एड. एक पेशेवर पाठ्यक्रम है। इस तरह की तुल्यता में जाने के लिए संबंधित प्राधिकरण एन.सी.ई.टी./प्रतिवादी 5 था और अन्ततः एन.सी.टी.ई. पर मुकदमा चलाया गया।

20. नोटिस जारी होने होने के उपरान्त एन.सी.टी.ई. ने प्रतिशपथपत्र दाखिल किया। दोनों डिग्रियों के दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम में अंतर पैरा 13 में निर्धारित किया गया है:

> "13. यह कहा गया है कि एम. एड. पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन छात्रों के लिए प्रैक्टिशनर डिग्री के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो पेशेवर क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञान, कौशल और अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। एक पेशेवर डिग्री के रूप में, एम. एड. उन छात्रों के लिए है, जो स्नातक स्नातक के उपरान्त उस विषय में विशेष कौशल और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो स्नातक स्तर पर नहीं प्राप्त की जा सकती है। (जैसे, एक निर्देशात्मक प्रौद्योगिकीविद या जिला संसाधन शिक्षक के रूप में)एम. एड. इस अर्थ में एक अनुसंधान वाली डिग्री नहीं है कि छात्र से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह कोई स्वतंत्र अनुसंधान परियोजना को पूरा करने और बचाव करें। हालांकि, एम. एड. पाठ्यक्रम शोध आधारित है और छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुसंधान–संबंधित पाठ्यक्रम (जैसे, सांख्यिकी पाठ्यक्रम) में भाग लें, जबकि एम.ए. डिग्री मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जो शोध करना चाहते हैं अथवा जो स्नातक की पढ़ाई करने के उपरान्त डॉक्टरेट स्तर का अध्ययन करना चाहते हैं। तदनुसार, एम.ए. पाठ्यक्रम को विशेष रूप से एक अनुसंधान डिग्री के रूप में डिज़ाइन

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया गया है, जिसमें छात्रों को शोध करने और स्वतंत्र अनुसंधान परियोजना (मास्टर शोधपत्र) को पूरा करने अपेक्षा की जाती है। अधिकांश संस्थानों में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए मास्टर के शोध प्रबंध को पूरा करना पूर्व–आवश्यकता के रूप में देखा जाता है।"

21. जो भी कहा गया उसके दृष्टिगत प्रतिशपथपत्र के पैरा 14 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षाशास्त्र में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए यू.जी.सी. और एस.सी.टी.ई. जैसे शीर्ष निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त एम. एड. एक मास्टर डिग्री है और जिन उम्मीद्वारों के पास यह डिग्री है वह भी नेट/एस.एल.ई.टी./जे.आर.एफ. के लिए पात्र है, जबकि एम.ए.(शिक्षाशास्त्र) भी एक मास्टर डिग्री है, लेकिन एक प्रोफेशनल मास्टर की डिग्री नहीं है और इसलिए, एम.एड. के साथ एम.ए (शिक्षाशास्त्र) की तुलना नहीं की जा सकती है।

22. एन.सी.टी.ई. के प्रतिशपथपत्र ने एस.सी.ई.टी द्वारा मान्यता प्राप्त एकवर्षीय एम.एड़ पाठ्यक्रम की एम. ए. (शिक्षाशास्त्र) से तुल्यता के मुद्दे की पुनः जांच करने के लिए गठित बैठक से जो निष्कर्ष निकला उसकी संलग्न कर दिया। यह बैठक 27 और 28 सितंबर, 2018 को हुयी। समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्व वविद्यालय, हैदराबाद में शिक्षाशास्त्र विषय के प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति प्रो. मोहम्मद मियान–समिति के अध्यक्ष।

डॉ. रेणु बत्रा, अपर सचिव, यू.जी.सी., नई दिल्ली – सदस्य।

भारतीय अध्यापक शिक्षाशास्त्र संघ के अध्यक्ष एवं मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के पूर्व प्रोफेसर प्रो. रमेश घंटा – सदस्य।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

डॉ. एस. के. चौहान, अवर सचिव, एन.सी.टी.ई.–संयोजक।

बैठक की पृष्ठभूमि उच्च न्यायालय का निर्णय था, जिसे हमारे सामने रखा गया है। इस निष्कर्ष के महत्वपूर्ण निष्कर्ष को पुन: प्रस्तुत किया जाना उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि वे विवाद पर सीधा प्रकाश डालता और यह निम्नानुसार हैं:

1. यह ऐतिहासिक रूप से एक सिद्ध तथ्य है कि बी. एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम अपने आप में प्रोफेशनल प्रकृति का है और जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से स्कूल प्रणाली के लिए शिक्षकों को तैयार करना और शिक्षक शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक तैयर करना भी है। ये पाठ्यक्रम लगभग पिछली एक सदी से अपनी प्रकृति और व्यावसायिकता से संबंधित निर्विवाद रूप से के चल रहे हैं।

2. इन पाठ्यक्रमों संरचना से स्पष्ट हो जाता है कि एम. एड. और एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) दोनों विषय लगभग अलग हैं। एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम ज्यादातर केवल शैक्षणिक उन्मुखीकरण के बिना सैद्धांतिक आधार के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से शिक्षा में एक विनय संबंधी पाठ्यक्रम माना जाता है, जबकि, बी. एड. और एम. एड. प्रोफेशनल पाठ्यक्रम हैं। आगे यह स्पष्ट है कि एम.ए (शिक्षाशास्त्र) पहली डिग्री के बाद 2 साल की अवधि के पाठ्यक्रम का है। जबकि बी. एड. पहली डिग्री के बाद एक वर्षीय पाठ्यक्रम है और एम. एड. इसके संदर्भ में एक वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसका मतलब है, एम.एड. की डिक्री प्राप्त करने के लिए पहली डिग्री के बाद 2 साल खर्च करना पड़ेगा क्योंकि एम. एड. के लिए बी. एड. अनिवार्य है। इसलिए, अवधि और पाठ्यक्रम की प्रकृति के दृष्टिकोण से, एम. एड. स्वयं शिक्षा में एक मास्टर कार्यक्रम है। एम. एड. (शिक्षाशास्त्र) को भी मास्टर डिग्री के रूप में यू.जी.सी. और एन.सी.टी.ई., शीर्ष निकाय द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है और जो अंतर है वह यह है कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एम.एड. एक प्रोफेशनल डिग्री है जबकि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र एक ऐसी डिग्री है जो शिक्षा में अनुशासन संबंधित है)।

3. एम. एड. योग्यताएं नेट/जेआरएफ परीक्षाओं में भाग लेने और शिक्षा में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्र हैं। उपरोक्त विवरण के दृष्टिगत, एम. एड. एक मास्टर पाठ्यक्रम है।

4. विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम पर नज़र डालें तो यह विदित होता है कि जहां एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम को एम. एड की तुलना में देश के एक ही विश्वविद्यालय,अथवा अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाता है वहां पर यह अवलोकन किया गया है कि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) में शिक्षा के सैद्धांतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है और शिक्षण या विद्यालयी अनुभव और सामुदायिक जुड़ाव के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है। जबकि एम.एड़ एक उन्नत पाठ्यक्रम है वह बी. एड. के बाद प्रदान किया जाता है और यह उन्नत स्तर पर फाउंडेशन कोर्स है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम कार्य उपरोक्त के अलावा डिज़ाइन किया गया है, शैक्षणिक अभिविन्यास/स्कूल और सामुदायिक जुड़ाव अच्छी तरह से एकीकृत हैं, जैसे कि, कोई भी इन दो कोर्सों के पाठ्यक्रम का अर्थान्वयन कर सकता है। एम. एड. के छात्र उस शिक्षा में बहुआयामी ज्ञान रखते हैं जबकि जबकि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) छात्रों में व्यावसायिक उन्मुखता के बिना शिक्षा के संबद्ध पहलुओं के साथ सिद्धांतिकि योग्यता होती है।

5.एन.सी.टी.ई. बी.एड. के साथ एम.ए./एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) का कोर्स कराता है जो सहायक प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) के पद के लिए मान्य है। यहाँ पात्रता के लिए एम.ए. के साथ साथ बी.एड. होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बी. एड. करके शिक्षण में बहुआयामी ज्ञान और स्कूली के अनुभव प्राप्त होता है।इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एम.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एड. शिक्षाशास्त्र में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए यू.जी.सी. और एन.सी.टी.ई. जैसी शीर्ष निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त एक मास्टर डिग्री है और वे नेट/एस.एल.ई.टी./जे.आर.एफ. के लिए भी पात्र हैं। दूसरी तरफ एम.ए. भी एक मास्टर डिग्री है लेकिन एक व्यावसायिक मास्टर डिग्री नहीं है। इसलिए इन दोनों में में तुलना नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जहां भी, बी.ए. (शिक्षाशास्त्र) या एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है वहां एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) के साथ इन कोर्सों में पढ़ाने के लिए एम.एड. उम्मीदवार भी पात्र हैं।

<u>अपीलार्थियों का मामला:</u>

23. अपीलार्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. पटवालिया जिन मानकों का कथन किया है वह निम्नलिखित हैं:

i. एम. एड. की डिग्री के बल पर सहायक प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) के 19 पद पर नियुक्त की जाने वाली पात्रता को इस मामले में निर्धारित किए जाने वाले प्रश्न पर जोर देकर कहा गया कि न तो अपीलकर्ता और न ही समान रूप से स्थित उम्मीदवार और न ही वैधानिक अधिकारी, प्रतिवादी–4 और 5 को उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में अभियोजित किया गया था।

ii. अभियोजित किये जाने पर प्रत्यर्थी– 4 स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया था कि एम. एड. की डिग्री वास्तव में शिक्षाशास्त्र में मास्टर की डिग्री है, लेकिन उन्होंने डिग्रियों के बीच समानता, शक्ति का निर्धारण नहीं किया, जिसके लिए प्रतिवादी–5 के साथ निहित है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

iii. एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त एम. एड. डिग्री को एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) के साथ तुल्यता के मुद्दे का पुनः परीक्षण किये जाने को गठित चार सदस्य वाली कमेटी के आधार पर प्रत्यर्थी–5 ने पाया कि: (क) अवधि और पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से, एम. एड. शिक्षाशास्त्र एक मास्टर कोर्स है जो कि प्रतिवादी–4 और 5 द्वारा मान्यता प्राप्त है (ख) एम. एड. एक प्रोफेशनल डिग्री है, जबकि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) एक शैक्षणिक डिग्री है, अर्थात, यह शिक्षा के क्षेत्र में एक डिग्री है; और (ग) और जिन अभ्यर्थियों ने एम. एड. किया है सहायक प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) के पद पर नियुक्त होने के के लिए पात्र हैं, और बी.ए. (शिक्षाशास्त्र) एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) को पढ़ा सकते हैं।

iv. जिन अभ्यर्थियों के पास एम. एड. की डिग्री है वह सहायक प्रोफेसर नियुक्ति होने के लिए पात्र हैं और क्या एम. ए. (शिक्षाशास्त्र)और एम. एड. समतुल्य है, इस मामले में यह प्रश्न असंग है।

v. यू.जी.सी./प्रतिवादी–4 ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि डिग्रियों की तुल्यता का निर्णय रोजगार संगठन द्वारा किया जाता है और प्रस्तुत मामले में, प्रतिवादी–2 रोजगार संगठन है, विशेषज्ञ पैनल की राय मांगी, और उसके बाद, रिट याचिका में आक्षेपित, एम.एड. को नियुक्ति के लिए मान्य योग्यता के रूप में अनुज्ञात कर निर्णय लिया गया। इस प्रकार, विशेषज्ञों के दृष्टिकोण के आधार पर, इस तरह के निर्णय की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए अथवा न्यायिक समीक्षा में नहीं जाना चाहिए।

vi. विभिन्न राज्यों के अनेक संस्थान ऐसी नियुक्तियों पर एम .एड. डिग्रीधारियों पर विचार कर रहें हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

vii. **प्रीति सिंह**[5] के मामले में पारित निर्णय इन तथ्यों में भिन्न है क्योंकि उन मामले में शिक्षाशास्त्र में अलग डिग्री अपेक्षित थी। किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज के प्राचार्य के पद के लिए निर्धारित योग्यता से संबंधित विवाद। योग्यता मानक निम्नानुसार था:

संशोधन से पूर्व	संशोधन के उपरान्त
(क) प्रथम अथवा अच्छे अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी (55 प्रतिशत अंक/सात अंको सहित ग्रेड बी) सहित अच्छे अकादमिक प्रदर्शन के साथ मास्टर डिग्री और भारतीय विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में डिग्री अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष डिग्री (छूट तभी दी जाएगी जब किसी उम्मीदवार बहुत उच्च मानक के अपने क्रेडिट अनुसंधान कार्य किया है) और	कम से कम प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी (सात अंकों के स्तर में ग्रेड बी) में अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ शिक्षाशास्त्र में मास्टर डिग्री और जरूरी नहीं कि संबंधित विषय में मास्टर डिग्री हो (उच्च श्रेणी वाला कार्य अनुभव अथवा 27 जनवरी, 1976 से पूर्व विद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक)।
(ब) एम. फिल डिग्री अथवा मास्टर डिग्री से उच्च कोई मान्यता प्राप्त डिग्री अथवा प्रकाशित कार्य जो स्वतंत्र अनुसंधान कार्य के लिए उम्मीदवार की क्षमता को दर्शाता है: बशर्ते कि यदि (ब) के रूप में दर्शित योग्यता रखने वाला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है या उपयुक्त नहीं माना जाता है, तो चयन समिति की सिफारिश पर कॉलेज योग्यता रखने वाले व्यक्ति को (अ) के रूप	(ब) कोई परिवर्तन नहीं

5 उपरोक्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

में नियुक्त कर सकता है।	

यह उल्लेख किया जा सकता है कि शुरू में, अपीलकर्ता की नियुक्ति को नकार दिया गया था क्योंकि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी, लेकिन बाद में मानदंडों में संशोधन कर उनकी नियुक्ति कुलपति द्वारा स्वीकार कर ली गई। तथापि यह पाया गया कि संबंधित नियम जो चयन प्रक्रिया के समय लागू था उसमें दो योग्यताओं का उपबंध था, अर्थात, किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र में डिग्री अथवा विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री। उसमें अपीलकर्ता, अर्थात, चयनित व्यक्ति का शैक्षणिक रिकॉर्ड बहुत उत्साहजनक नहीं था। यह वे कारक हैं जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है और यह दोहरी योग्यता का मूल विषय है जिसके परिणामस्वरूप नियुक्ति को खारिज कर इस न्यायालय निर्यण सुनाया।

viii. **डॉ. प्रीति सिंह**[6] मामले की विशिष्ट विशेषता को इस न्यायालय ने **डॉ. राम सेवक सिंह बनाम डॉ. यूपी सिंह एवं अन्य**[7] के मामले में अवलोकन किया जहां दोहरी योग्यता की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।

ix. एम. एड. या एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) योग्यता वाले उम्मीदवारों को नेट प्रमाणपत्र के प्राप्त करने के लिए एक कॉमन टेस्ट देना पड़ता था और सफल छात्रों के मध्य उनकी डिग्री के आधार पर विभेद नहीं किया जाता है। चूंकि नेट या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, इसलिए नेट उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

x. न्यायिक समीक्षा में योग्यता की तुल्यता और इसके क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए कोई जगह नहीं है, यहां तक कि यह मान लिया

---

6 उपरोक्त

7 (1999) 2 एस.सी.सी. 189

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जाए कि एम.एड. डिग्री एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) डिग्री के बराबर नहीं है, जो कुछ भी है उसे विशेषज्ञों और नियुक्ति प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस संबंध में, **जहूर अहमद एवं अन्य बनाम शेख इम्तियाज अहमद एवं अन्य**[8] के मामले का अपीलकर्ताओं द्वारा अवलम्ब लिया गया जो इस प्रकार है:

"26. हम उस निष्कर्ष से सहमत है जो **ज्योति के.के. (2010) 15 एस.सी.सी. 596** के मामले में और इसके उपरान्त **अनीता (2015) 2 एस.सी.सी.** के मामले में निकाला गया। 170. ज्योति के.के. (उपरोक्त) में निर्णय नियम 10 (ए) (ii) के प्रावधानों पर बदल गया। इस तरह के नियम के अभाव के चलते यह अनुमान लगाने की अनुमति नहीं होगी कि उच्च योग्यता कम योग्यता को दबा ही दे। किसी पद के लिए योग्यता का निर्धारण करना भर्ती नीति का विषय है। नियोक्ता के रूप में राज्य पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का अधिकार रखता है। निर्धारित योग्यता के दायरे को विस्तृत करने का कार्य उसकी भूमिका या न्यायिक समीक्षा के कार्य का हिस्सा नहीं है। इसी तरह, योग्यता की तुल्यता एक ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सकता है। क्या किसी विशेष योग्यता को समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं, यह राज्य का विषय है जैसा भर्ती प्राधिकारी निर्धारित करे। ज्योति के.के. (उपरोक्त) में पारित निर्णय एक विशिष्ट वैधानिक नियम पर बदल गया, जिसके तहत एक उच्च योग्यताधारी को लेना निम्न योग्यताधारी की के हक का अधिग्रहण हो सकता है। वर्तमान मामले में इस तरह के नियम की अनुपस्थिति अंतिम परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर बनाती है। इस मामले के दृष्टिगत, उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को

---

8 (2019) (2)एस.सी.सी. 404

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उलटने और इस निष्कर्ष पर आने में कि अपीलकर्ता निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते थे, सही थे। हमें खण्ड़पीठ के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली।

27. किसी पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय, राज्य, नियोक्ता के रूप में, वैध रूप से सेवा की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए अपेक्षित योग्यता, योग्यता की कार्यक्षमता और पाठ्यक्रम की सामग्री सहित कई विशेषताओं को ध्यान में रख सकता है। अध्ययन जो एक योग्यता के अधिग्रहण की ओर जाता है। राज्य को अपनी सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों का आकलन करने का अधिकार सौंपा गया है। प्रशासन की योग्यता, यह ट्राइट लॉ है, प्रशासनिक निर्णयन की परिधि में आता है। राज्य एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में सामाजिक दृष्टिकोण पर अच्छे से विचार कर सकता है जिसमें सम्पूर्ण सामाजिक संरचना में रोजगार के अवसरों के निर्माण किया जाना अपेक्षित होता है। ये सभी नीति से जुड़े हुए मामले हैं। न्यायिक समीक्षा तेज गति से होनी चाहिए। यही कारण है कि ज्योति के.के. (उपरोक्त) के मामले में पारित निर्णय को विशिष्ट वैधानिक नियम के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिसके तहत उच्चतर अर्हता धारण करना, जो निम्नतर अर्हता अर्जित करने की पूर्व मान्यता है, इस पद के लिए पर्याप्त माना गया। यह विशिष्ट नियम के संदर्भ में था कि ज्योति के .के. (उपरोक्त) में निर्णय बदल गया।"

<u>प्रत्यर्थी–3 का मामला:</u>

24. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने बताया कि:

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

i. विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायिक घोषणाएं इस आशय की हैं कि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) और एम. एड. अलग–अलग पाठ्यक्रम हैं। 14.3.2016 को निर्णीत रिट–ए नंबर 65853/2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक पूर्व अवलोकन का संदर्भ दिया गया जहां पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 27 पर चर्चा की गई थी। इसमें प्रत्येक संकाय को शिक्षण के ऐसे विषयों को शामिल करने की आवश्यकता है जो निर्धारित किए जा सकते हैं। अनुभाग ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे प्रत्येक संकाय अपने आप में एक अलग कैडर है और किसी भी संकाय सदस्य का एक संकाय से दूसरे में अदला बदली नहीं हो सकता है। इसके अलावा, कला संकाय के तहत 'शिक्षाशास्त्र' के अध्यापकगण बी. एड. और एम. एड. की पढ़ाई कर रहे छात्रों को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, और न ही वे दोनों के लिए परीक्षा का पेपर सेट कर सकते हैं।

ii. प्रत्यर्थी– 5 ने विशेष सिविल आवेदन संख्या 2425/2016 के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखकर कहा कि एम.ए.(शिक्षाशास्त्र) और एम. एड. दो अलग–अलग कार्यक्रम हैं और प्रतिवादी–4 की सलाह, डिग्री की समानता उसकी क्षमता के भीतर नहीं है, के विपरीत है।

iii. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने सचिव (एस.सी.टी.ई) के माध्यम से आर.टी.आई. जवाब में कहा कि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) कॉलेज स्तर पर पढ़ाने के लिए परास्नातक की डिग्री है जबकि एम. एड. स्कूलों में पढाने के लिए केवल एक प्रोफेशनल डिग्री है।

iv. विज्ञापन सं. 47 वर्ष 2016 का में शिक्षाशास्त्र (कला संकाय) में 100 सीटों का प्रकाशन था और इन रिक्तियों में, बी. एड. (शिक्षक प्रशिक्षण संकाय) के लिए कोई सीटें नहीं थीं। इसके अलावा, यू.जी.सी.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम की धारा 22 के संदर्भ में, बी.ए. के लिए स्नातकोत्तर डिग्री एम.ए. है और बी. एड के लिए है। चूंकि दोनों डिग्री अलग हैं, इसलिए अपीलकर्ता प्रश्नगत पद के लिए योग्य नहीं हैं। जारी प्रत्यर्थी–4 ने 2014 में जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया कि बी .ए. और एम.ए. कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं, जबकि बी. एड. और एम. एड. शिक्षकों प्रशिक्षण श्रेणी में आते हैं।

vi. प्रत्यर्थी–4 ने अपने हलफनामे में कहा है कि कोई भी छात्र मास्टर डिग्री पाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जबतक कि वह अपनी पहली डिग्री के दो साल बाद पूरा न कर लिया हो। एम.ए. दो साल का मास्टर कार्यक्रम है जबकि एम. एड. एक साल का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है (जैसा कि तब था)। इसलिए, विज्ञापन 47/2016 केवल दो साल के मास्टर डिग्री के लिए था।

vii. एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) एक शैक्षणिक डिग्री है जबकि एम.एड. केवल एक प्रोफेशनल डिग्री है। यह डिग्री अलग–अलग है और शिक्षा में दो अलग–अलग श्रेणियां है और उनके शीर्ष निकाय भी अलग–अलग हैं। यू.जी.सी. के अध्याय 39 के पैरा 3.0 में इस संबंध में शिक्षा के अनुमोदित पाठ्यक्रम का अवलम्ब लिया गया, जो निम्नानुसार है:

अकादमिक अनुशासन के रूप में शिक्षा और किसी क्षेत्र में सेवा के लिए शिक्षकों और अन्य प्रोफेशनलों को तैयार करना शिक्षा के पाठ्यक्रम की दो अलग–अलग श्रेणियां हैं। एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) कला संकाय में परास्नातक की डिग्री है और एम. एड एक परास्नातक की शिक्षा है और दोनों समकक्ष नहीं हैं। एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) विशुद्ध रूप से अकादमिक है जबकि एम. एड. एक प्रोफेशनल डिग्री है और उनके शीर्षनिकाय अलग हैं। ये दो पाठ्यक्रम अलग–अलग हैं और शिक्षा के अनुशासन की धारा हैं, उन्हें बराबर नहीं लिया जा सकता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

डॉ. एम.एस. मुधोल और अन्य बनाम एस.डी. हलगावकर और अन्य[9] में भी इस अंतर को मान्यता प्रदान की गई है जिसका महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है:

> 4. प्रत्यर्थियों का यह तर्क कि एम. एड. (sic एम.ए.) द्वितीय श्रेणी एम.ए. (sic एम.एड.) द्वितीय श्रेणी के समतुल्य था यह बात निराशाजनक है। पूर्व वाली डिग्री महज एक शैक्षणिक योग्यता है जबकि बाद वाली एक प्रोफेशनल योग्यता है। द्वितीय, पूर्व वाला पाठ्यक्रम कम से कम दो वर्षों का है, जबकि बाद वाला अंशकालिक पाठ्यक्रम है जो एक वर्ष का है। किसी भी दशा में, आवश्यक योग्यता के संबंध में वैधानिक नियम बहुत स्पष्ट है क्योंकि इसमें शैक्षिक परास्नातक डिग्री और शिक्षण डिग्री दोनों की आवश्यकता होती है जिसमें शिक्षण डिग्री पूर्व का विकल्प नहीं है। शैक्षणिक डिग्री अर्थात मास्टर्स डिग्री के संबंध में योग्यता निर्धारित करते समय, नियम इस तरह की डिग्री के लिए 2 डिवीजन पर जोर देता है। यह शिक्षण में 2 वीं डिवीजन डिग्री पर जोर नहीं देता है। इसके लिए उत्तीर्ण होने की डिग्री पर्याप्त है। इसलिए, शैक्षणिक योग्यता को शिक्षण योग्यता से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करने और दोनों योग्यताओं के डिवीजनों में विनिमय करने से यह इन नियमों के तहत अपेक्षित योग्यता को विकृत करने की कोटि में आ जाएगा....।"
>
> viii. दिनांक 15.5.2014 को जो विशेषज्ञ राय ली गयी थी वह विज्ञापन संख्या 46 वर्ष 2014 के अनुसरण में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से प्राप्त की गई थी। एम.एड. डिग्रीधारी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकारी नहीं पाए गए। वर्ष 2014 और 2016 में जारी किये गये विज्ञापनों में योग्यता समान है। प्रश्नगत विज्ञापन संख्या 47 वर्ष 2016

---

9 (1993) 3 एस.सी.सी. 591

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के प्रयोजनों के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल ने इसे आँकडों आधारित न करके और दोनों पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम की तुलना किए बिना अपनी राय दी।

<u>वह दृष्टिकोण जिसका हम अनुसरण करना चाहते हैं:</u>

25. हमने अभिलेखों का विश्लेषण कर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया है।

26. रिट के संस्थन के समय रिट याचिका दायर करने के तरीके के बारे में और संबंधित अधिकारियों यू.जी.सी. और एन.सी.टी.ई. को अपनी राय देने के लिए उच्च न्यायालय न बुलाकर आक्षेपित आदेश पारित किये जाने पर अपनी शंका को व्यक्त कर देना चाहिए। प्रथम प्राधिकारी एक ऐसा प्राधिकारी है जिसका कार्य डिग्रियों का नामकरण को निर्धारित और निर्दिष्ट करना है,जबकि द्वितीय प्राधिकारी शिक्षक की शिक्षा का प्राधिकारी है। पूर्व में जो भी स्थिति रही हो, जैसा कि गुजरात उच्च न्यायालय पर अवलम्ब लिये जाने की मांग की गई है, इस पर और अधिक संदेह नहीं है। संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति लिये गये निर्णय से भ्रग पै,दा होने की संभावना है और भ्रग पैदा हुआ है।

27. हमारा यह भी मानते है कि प्रभावित उम्मीदवार, अथवा उनमें से कम से कम जो प्रतिनिधि क्षमता में हों, उनको सुना जाना था और इन अभ्यर्थियों को बिना सुने कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता था।

28. इस प्रकार, हम यह पाते हैं कि यह केवल इसी न्यायालय के समक्ष है कि इस विवाद की सम्पूर्ण रूपरेखा प्रकट हो चुकी है और सभी संबंधित पक्षकारों के रूख को जांचने की मांग की गयी है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

29. यू.जी.सी./प्रतिवादी–4 ने हमारे सामने जो पक्ष रखा है वह अपनी शर्तों में स्पष्ट है कि यू.जी.सी. अधिनियम की धारा धारा 22 के तहत इसके द्वारा जारी अधिसूचना के संदर्भ में एम.एड. डिग्री वास्तव में शिक्षा में एक मास्टर डिग्री है। इस आशय में यह मामला सक्षम प्राधिकारी द्वारा एम. एड को स्नातकोत्तर डिग्री के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तों हल किया जाता है।

30. तुल्यता संबंधी प्रश्न जिसका प्रत्यर्थी 4/यू.जी.सी. ने कथन किया है उसे एन.सी.टी.ई. पर छोड़ दिया जाना था। इसके दृष्टिगत एन.सी.टी.ई. को एक पक्षकार (प्रत्यर्थी–5) और उसने एक बार पुनः अपने रुख को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। एस.सी.टी.ई. ने दोनों डिग्रियों के बीच इतना अंतर किया है कि एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) शिक्षा के क्षेत्र से सबंधित एक डिग्री है जबकि एम .एड. एक प्रैक्टिशनर डिग्री है। आक्षेपित निर्णय के अनुसरण में गठित एक समिति जो एक विशेषज्ञ समिति है उसको भी संदर्भित दिया गया है। एक वर्षीय एम. एड. प्रोग्राम को मान्यता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत किसी भी अभ्यर्थी को एम.एड. की डिग्री प्राप्त करने के लिए पहली डिग्री के बाद दो वर्ष का समय बिताना होगा क्योंकि एम. एड. डिग्री के लिए बी. एड. डिग्री होना अनिवार्य है। इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाला गया कि, अवधि और पाठ्यक्रम के आधार पर एम.एड. शिक्षा के क्षेत्र में एक मास्टर प्रोग्राम है और यू.जी.सी. और एस.सी.टी.ई. द्वारा भी इसे उस रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।

एक अर्थ में यह प्रत्यर्थी–3 द्वारा उठाए गए आपत्तियों में से एक को ठंडे बस्ते में डाल देता है, जैसे शुरू में एम. एड. एक साल का कार्यक्रम था, और बाद में 2015 में दो साल के कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि इस मुद्दे की एन.सी.टी.ई. की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई है, और एन.सी.टी.ई. ने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलकर्ताओं के पक्ष में निष्कर्ष निकाला। एन.सी.टी.ई. द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र के अंतिम प्रस्तर में इस आशय से स्पष्ट कथन भी किया गया है कि एम. एड. सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए यू.जी.सी. और एन.सी.टी.ई. जैसे शीर्ष निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त एक मास्टर डिग्री है और वे नेट/एस.एल.ई.टी./ जे.आर.एफ. के लिए भी पात्र हैं।

31. हम अन्य महत्वपूर्ण पहलू का भी उल्लेख कर सकते हैं जैसे नियोक्ता अन्तिम रूप से यह निर्णय करने में कि किसे नियुक्त किया जाए, सबसे अच्छा न्यायाधीश होता है। यह विकल्प प्रतिवादी–2 का था जिन्होंने कुछ अपीलकर्ताओं के प्रतिनिधित्व के दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति की सहायता मांगी। विशेषज्ञ समिति को गठित करने का महत्व इसकी संरचना से स्पष्ट हो जाता है। उस समिति ने परीक्षा के उपरान्त अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए कदम के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की और नियोक्ता के रूप में प्रत्यर्थी–2 उस पर सहमत हो गया और कमेटी के निर्णय की राय को स्वीकार कर लिया। यह वास्तव में अपीलकर्ताओं या प्रतिवाद कर रहे प्रत्यर्थी पर नहीं है कि कैसे और किस तरह से डिग्री प्राप्त की जाए जो उन्हें प्रत्यर्थी–2 द्वारा नियुक्त किये जाने के पात्र बना दे।

32. हम यह कहने में जल्दबाजी कर रहे हैं कि यह हम यह नहीं मानते है कि प्रत्यर्थी–2 जैसे कि कोई नियोक्ता अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता है – वे यू.जी.सी. अधिनियम की शर्तों और उसके तहत बनाये गये विनियमों की शर्तों से निर्देशित और बंधे हुए हैं, लेकिन तब यहां पर, एम. एड. डिग्री का यू.जी.सी. द्वारा जो हमारे समक्ष जो कथन किया गया है उसके दृष्टिगत कोई संदेह नहीं रह जाता है, बल्कि प्रासंगिक विनियमों को 2010 से पूर्व प्राख्यापित कर समय–

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

समय पर संशोधित किया गया। डिग्रियों की समतुल्यता संबंधी प्रश्न पर एस.सी.टी.ई. ने ठीक–ठीक विचार किया है और जब यह दो डिग्रियों के कतिपय विभिन्न पहलुओं को मान्यता दे रहा था तब इसने स्पष्ट रूप से कहा है कि सहायक प्रोफेसरों (शिक्षाशास्त्र) की नौकरी के लिए दोनों डिग्रियां मान्य है।

33. हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि एम. एड. डिग्री उन सभी पदों के लिए मान्य है जिनका विज्ञापन विज्ञान, कला और अन्य के जारी किया गया था। उनकी पात्रता केवल सहायक प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) के पद के लिए पाया गया है, जो पढ़ाए जाने वाले विषय से सीधे संबंधित है। हम इस तथ्य पर विचार नहीं करते हैं कि एम. एड. और एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) दोनों डिग्री–धारकों को नेट पास करने के लिए एक ही परीक्षा देना होगा, निश्चायक नहीं है लेकिन यह उन कारकों में से एक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, और एक बार जब विशेषज्ञ निकाय एन.सी.टी.ई. सहायक प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र) में नियुक्ति हेतु समतुल्यता पर राय बनाने के बजाय इन पहलुओं को विचार में ले लिया हो तब यह उचित नहीं होगा कि उसके विपरीत राय बनायी जाए।

34. इस तथ्य के दृष्टिगत हम यह हमारा मत हैं कि शिक्षा से संबंधित मामलों को निःसंदेह प्रासांगिक विधानों और विनियमों के अधीन शासित रहते हुए शिक्षाविदों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञों के निर्णय पर विशेषज्ञ निकाय के रूप में बैठना इस न्यायालय का कार्य नहीं है, खासकर तब जब विशेषज्ञ सभी विशिष्ट व्यक्ति हों जैसा कि नामों से स्पष्ट है। पूर्व में भी इस दृष्टिकोण को न्यायिकतः अनुज्ञात किया गया है और ऐसा नहीं है कि हम नयी बात कर रहे हैं। हम इस

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संबंध में **जहूर अहमद एवं अन्य**[10] के मामले में पारित निर्णय का उल्लेख करना चाहते हैं जिसमें न्यायालय ने दो दृष्टिकोण व्यक्त किया है:

(क) यह नियोजक इस बात पर विचार करे कि अध्ययन के अनुक्रम की योग्यता और अंतर्वस्तु की कार्यशीलता से पात्र अर्हताप्राप्त होगी; और

(ख) ऐसे मामले शिक्षाविदों पर छोड़ दिए जाने चाहिए।

35. **डॉ. प्रीति सिंह**[11] के मामले में पारित निर्णय को भी हमने अवलोकन किया है। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को संभवतः समग्र रूप से इस निर्णय पर अनुमान गया है, मानो कोई मामला निष्तारित किये जाने के लिए शेष नहीं बचा था, भले ही उस अन्तर को बाद में पारित निर्णय **डॉ. राम सेवक सिंह**[12] मामले के में मान्यता दिया गया है। यह कहना सही है कि प्रायः किसी मामले में प्रतिपादित कानून उतना अच्छा होता है जितना उस मामले के तथ्य होता है। **डॉ. प्रीति सिंह**[13] का मामला संबंधित विज्ञापन में दोहरी आवश्यकताओं से संबंधित था, अर्थात, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर और शिक्षाशास्त्र में डिग्री। यहां पर ऐसी कोई दोहरी योग्यता का प्रतिपादित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, यह भर्ती प्रिंसिपल के पद के लिए थी और वह भी यह मामला ऐसे व्यक्ति से संबंधित था, जिसने बहुत अधिक अंक नहीं प्राप्त किया था। मानदंडों में संशोधन करके भी उम्मीदवार की मदद करने का प्रयास किया गया था और इस प्रकार, न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला वह सही है कि वह उचित नहीं था। हम संबंधित विज्ञापन के लिए विभिन्न मानदंडों, संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री, इस मामले में 'शिक्षाशास्त्र' की डिग्री, पात्रता के लिए उनके पास अपेक्षित अंक, पर विचार कर रहे हैं, इस

---

10 उपरोक्त
11 उपरोक्त
12 उपरोक्त
13 उपरोक्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रकार, हम यह नहीं समझ पाते कि **डॉ. प्रीति सिंह**[14] मामले में पारित निर्णय को वर्तमान मामले के तथ्यात्मक संदर्भों में एक बाध्यकारी मिसाल कैसे माना जा सकता है, **डॉ. राम सेवक सिंह**[15] मामले में की गई टिप्पणियों के दृष्टिगत, स्पष्ट रूप से **डॉ. प्रीति सिंह**[16] मामले में बनायी गयी राय का वास्तविक आधार क्या था।

36. हम उल्लेख करना चाहेगे कि, कभी–कभी, किसी निर्णय के वास्तविक अनुपात को बिना जांचे, उसको मिसाल के तौर पर लिया जाता है। यह वह है जो आक्षेपित आदेश में प्रतीत हुआ है। उच्च न्यायालयों के कुछ अन्य निर्णय भी हैं, जहां पर न्यायालय से मांग की गयी की एम.एड. डिग्री व्यापक तौर पर मान्य थी भले हीं वह एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) के समतुल्य नहीं थी। यह स्पष्ट है कि दोनों अलग–अलग डिग्रियां हैं; और एन.सी.ई.टी ने इसे मान्यता भी प्रदान किया जब यह दोनों डिग्रियों के बीच सूक्ष्म अंतर पर जोर देकर कह रहा था कि एक मास्टर डिग्री जबकि दूसरी प्रोफेशनल डिग्री है। यदि दो डिग्रियां एक जैसी हैं तो तुल्यता संबंधी कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। तुल्यता संबंधी प्रश्न केवल तब उत्पन्न होता है जब दो अलग–अलग डिग्री होती है और जो कुछ भी निर्धारित किया जाना है चाहे कतिपय उद्देश्यों के लिए क्यों न हो उसको समतुल्य माना जा सकता है। यह ठीक वही है जो प्रतिवादी–2 और 5 द्वारा संबंधित विशेषज्ञ समितियों के गठन के परिणामस्वरूप घटित हुआ है। नियोक्ता, अर्थात्, प्रतिवादी–2, ने विशेषज्ञ समितिकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। यू.जी.सी. ने यह भी कहा है कि जहां तक दो डिग्रियों का प्रश्न है, दोनों स्नातकोत्तर डिग्री हैं, और समापक प्राधिकारी, प्रत्यर्थी– 5, विशेषज्ञ समिति के आधार पर यह माना है कि शिक्षामें

---

14 उपरोक्त
15 उपरोक्त
16 उपरोक्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सहायक प्रोफेसर के पद के लिए दोनों को समकक्ष माना जा सकता है। इस प्रकार, यह न वादी पक्षकार, प्रत्यर्थी–3, और न ही इस न्यायालय पर है कि वे के लिए विशेषज्ञों के निर्णय पर अपील न्यायालय की तरह व्यवहार करें। यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि वास्तव में दिनांक 22.5.2018 को जारी अंतिम सूची के अनुसार वर्ष 2014 की चयन प्रक्रिया में प्रत्यर्थी–3 चयनित हो चुका है।

37. इस प्रकार, हमारी राय यह है कि आक्षेपित निर्णय पोषणीय नहीं है और इसे अपास्त कर दिया जाना चाहिए और शुद्धिपत्र दिनांकित 11.7.2016 को जो चुनौती दिया गया है उसे खारिज किया जाता है। परीक्षा परिणाम तैयार कर तत्काल उसकी घोषणा की जाए ताकि बेरेजगार अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पा सकें और इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थी अपनी शिक्षा का लाभ उठा सकें।

38. तदनुसार न्यायालय ने अपील अनुज्ञात कर आदेश दिया कि पक्षकार अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

.....

माननीय न्यायमूर्ति किशन कौल

.....

माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

.....

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

नई दिल्ली
12 अक्टूबर, 2020.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपील अधिकारिता

<u>सिविल अपील 2851 वर्ष 2020</u>

सुशील कुमार पाण्ड़ेय एवं अन्य .....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रत्यर्थी

<u>आदेश</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल</u>

1. रिट–ए 61 वर्ष 2015 में पारित 14.5.2018 दिनांकित आदेश से उद्भूत यह अपील जिसमें विज्ञापन संख्या 46 वर्ष 2014 से संबंधित भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दिया गया है, हमारे द्वारा निर्णीत सिविल अपील सं. 2850 वर्ष 2020 को अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा चुनौती नहीं दिया गया। हम 2014 सम्पन्न पूरी चयन प्रक्रिया पर सुनवाई नहीं करना चाहते हैं जो पहले ही पूरी कर ली गयी है और जिसमें अलग से विज्ञापन दिया गया था। इस प्रकार, हमने अपने निर्णय को 2016 की चयन प्रक्रिया तक सीमित कर दिया है।

2. उपरोक्त चर्चाओं के परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज की दी जाती है।

... ...
माननीय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

... .

माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

... .

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

नई दिल्ली
12 अक्टूबर, 2020

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।